



## संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 24.09.2022

आज दिनांक 24.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

**बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद**

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 296 / 2022 धारा 363 भादवि के मामले मे वाँछित अभियुक्त नाम पता मो0 कलाम पुत्र स्व0 सत्तार निवासी डाबरगली रेलवे स्टेशन रोड बस्ती, थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती को नौवागांव चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा को वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 24.09.2022 को अपहृता को बरामद करते हुए चिकित्सा परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय संतकबीरनगर भेजा गया तथा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** प्रभारी चौकी बाघनगर उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 शिवम यादव, म0का0 सुमन कुमारी।



# संतकबीरनगर पुलिस





## संतकबीरनगर पुलिस



### दुधारा पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्रा के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री शर्वेश कुमार राय में नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 390 / 2022 धारा 498(ए) / 304(बी) भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त 1 – विकास पुत्र स्व0 जवाहिर 2- बृजेश पुत्र स्व0 जवाहिर निवासीगण डिघवा डिगेश्वरनाथ, थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को लोहरौली बाजार तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पुत्री से दहेज के मांग की जा रही थी मांग पूरी न करने पर प्रतिवादीगणों द्वारा दिनांक 02.09.2022 को वादी की पुत्री का हत्या कर दिया गया था जिस संबन्ध में वादी द्वारा दिनांक 23.09.2022 को थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध घटित होने पर थाना दुधारा पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगायी गयी थी आज दिनांक 24.09.2022 को थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री बृजमोहन सिंह, का0 उत्तम चौधरी।





## संतकबीरनगर पुलिस



शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

### पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1498 द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास में जहर खायी महिला पहुँचाया गया अस्पताल-**

पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला अंतर्गत पनभरा से इवेन्ट संख्या 03997 से कालर ने एक महिला द्वारा आत्महत्या करने हेतु जहर खाने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 04 मिनट में घटना स्थल पहुँचकर जहर खायी हुई महिला को प्राइवेट वाहन से अस्पताल पहुँचाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर आत्महत्या के प्रयास में जहर खाई को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ –** आरक्षी संदीप कुमार, आरक्षी रामराज, हो0चा0 देवेन्द्रनारायण शुक्ल ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 112 वाहनो से 112000 रु0 सम्मन वसूल किया गया**

आज दिनांक 24.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 112 वाहनो से 112000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया ।